न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 49 / 2020

आदर्श को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखाः आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि0,
तोषनीवाल कॉम्पलैक्स के सामने, 5 / 163 पाली बाजार, ब्यावर–305901(राजस्थान)
.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री राम प्रसाद अग्रवाल (ऋणी एवं रहनकर्ता),
पताः–4 / 41, साकेत नगर, हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर–305901 (राजस्थान)
(2) श्रीमती रीना अग्रवाल पत्नी श्री राजेन्द्र अग्रवाल (सहऋणी एवं रहनकर्ता)
पताः– 4 / 41, साकेत नगर, हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर –305901 (राजस्थान)
(3) श्री सुनिल कुमवात पुत्र श्री मूल चंद कुमावत (जमानती)
पताः–2 / 15, पुष्कर गंज, ब्यावर– 305901 (राजस्थान)
(4) श्रीमति सुशीला कंवर पत्नी श्री भानु प्रताप (जमानती)
पताः– लोकशाह नगर, मेवाडी गेट के बाहर, ब्यावर–305901 (राजस्थान)
.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अजय टांक प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक 25.02.2020

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 02 को दिनांक 08.05.2013 को रू. 8,00,000 / – (अक्षरे आठ लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्राथीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, साकेत नगर, उदयपुर रोड, ब्यवार, जिला अजमेर (राजस्थान) स्थित संपत्ति मकान नं0 4 / 41, क्षैत्रफल 162.00 वर्ग मीटर या 1743.00 वर्ग फिट, जिसका उप पंजियक ब्यावर द्वारा दिनांक 17.04.2007 को पुस्तक सं0 01, जिल्द सं0 1583, पृष्ठ सं0 192 कम सं0 2007002385 से पंजीयन किया गया था। यह संम्पत्ति श्री राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री राम प्रसाद अग्रवाल और श्रीमति रीना अग्रवाल पत्नी श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रार्थी बैंक मे रहन रखी थी, जिसकी चतुर्दशी निम्न प्रकार हैः– उत्तर मेंः–आम रास्ता, 30 फीट, दक्षिण मेः– मकान नं0 4 / 36, पूर्व मेंः–मकान नं0 4 / 42, पश्चिमः–मकान नं0 4 / 40, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.08.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 27.09.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–7,21,301 / –(अक्षरे सात लाख इक्कीस हजार तीन सौ एक मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी को सुना गया। प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्राथीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक संपत्ति मकान नं0 4/41, क्षैत्रफल 162.00 वर्ग मीटर या 1743.00 वर्ग फिट, जिसका उप पंजियक ब्यावर द्वारा दिनांक 17.04.2007 को पुस्तक सं0 01, जिल्द सं0 1583, पृष्ठ सं0 192 कम सं0 2007002385 से पंजीयन किया गया था। यह संम्पत्ति श्री राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री राम प्रसाद अग्रवाल और श्रीमति रीना अग्रवाल पत्नी श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रार्थी बैंक मे रहन रखी थी, जिसकी चतुर्दशी निम्न प्रकार हैः— उत्तर मेंः—आम रास्ता, 30 फीट, दक्षिण मेंः— मकान नं0 4/36, पूर्व मेंः—मकान नं0 4/42, पश्चिमः—मकान नं0 4/40, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 25.02.2020 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner